न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 360 / 2012
दायर दिनांक :– 17.02.2012

अनवान

श्री जमना लाल मुत. नाहरा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री रामचन्द पिता गोकल मीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री बद्री लाल मीणा, वकील वादी
2. श्री अतुल जोशी, वकील प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक 11.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1023 रकबा 03.08 बीघा भुमि स्थित है। जिस पर वादी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। सन 2002 से वादी की मॉ श्रीमति झुमा देवी ने प्रतिवादी सं. 1 को सिजारी के रूप में सम्पुर्ण रकबा दे रखा था सन 2002 से लगातार प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि की उपज वादी की मों को देता आ रहा है वादी की मॉ की मृत्यु हो जाने के बाद से प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ गई और 2 बीघा खेती की ही उपज देने लग गया वर्ष 2010 में जब भूमि वादी के नाम आयी तो वादी ने अपनी आराजी की सीमा जानने हेतु पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया। पत्थरगढी की पालना में जब मेरी भूमि की पत्थरगढी की गई तो पाया की प्रतिवादी सं. 1 ने करीब 1 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जो अवैध है। प्रतिवादी ग्राम जालमपुरा के खुखार एव लडाकु प्रवृत्ति के व्यक्ति होकर गरीब किसानों की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने के आदि है। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में पश्चिमी दिशा पर एक बीघा भूमि को शक्ति के बल जबरदस्ती नाजायज रूप से छीनना चाहता है। और वादी को बेदखल करना चाहता है। जिसका की प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। इसलिये वादी के पक्ष में और प्रतिवादीं के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी स्वंय अथवा अपने नौकरों ऐजेन्टों या परिवाजनों के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित आराजी आ. न. 1023 रकबा 03.08 बीघा के शांति पुर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे, न करावे न वादी को बेदखल करें न करावे न कब्जा करने की कोशिश करे। ग्राम जहाजपुर की आ. न. 1023 रकबा 3.08 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

भूमि के पश्चिमी में 1 बीघा भाग पर प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवा कर उकत आराजी का कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री अतुल जोशी एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब वादपत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की आ. न. 1023 मात्र वादी के खाते मे दर्ज है जो की गलत हैं तथा कब्जा होने की बता भी गलत हैं जवाबदार का अवैध कब्जा होने की बात गलत हैं। वादी किसी भी प्रकार से विवादित कृषि आराजी का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वादी ने गलत वाद पत्र पेश किया है। वादी इस कलम में वर्णानुसार किसी प्रकार की कोई सहायता जवाबदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2068 से 2071, नकल नक्शा ट्रेस तथा पत्थरगढी का मौका पर्चा की नकल की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये गयें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया की वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादी सं. 1 ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान बताया की वाद पत्र में कुलिया तथ्य गलत है। जिससे वादी कोई सहायता जवाबदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। जिससे वादी का वाद पत्र निरस्त कराना फरमावे। मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2068–71 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1023 रकबा 03.08 बीघा में पश्चिम में 1 बीघा पर प्रतिवादी सं. 01 से कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री जमना लाल मुत. नाहरा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री रामचन्द पिता गोकल मीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 188, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 360/2012

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री बद्री लाल मीणा का मिनजानिब मुदई व श्री अतुल जोशी का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1023 रकबा 03.08 बीघा में पश्चिम में 1 बीघा पर प्रतिवादी सं. 01 से कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:45:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: